

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

खण्ड संख्या: 2001

संकल्प

दिनांक: 13.08.15

विषय:- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु मार्गदर्शिका।

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली 2000 के नियम 22 (3) एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 3918 दिनांक 25.10.1980 के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नियंत्रणाधीन महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किये जाते हैं:-

1. शिक्षकों का स्थानान्तरण सामान्य रूप से अपने वर्तमान पदों पर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद किया जाएगा।
2. स्थानान्तरण साधारणतया प्रत्येक पंचाग वर्ष के मई-जून में तथा नवम्बर-दिसंबर में किया जाएगा।
3. विशेष परिस्थिति में जैसे-मृत्यु, बीमारी, रिक्ति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस बीच में स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है:-
  - a. जिन राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन माननीय विभागीय मंत्री के स्तर से अनुमोदित होना है उन मामलों में मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाएगा।
4. प्रत्येक पद पर या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन की अवधि साधारणतया: तीन साल होगी। किसी विशेष पद पर या स्थान के लिए पदस्थापन दो साल के लिए भी किया जा सकता है।
5. जहां तक संभव हो, सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में शिक्षकों को अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
6. किसी भी शिक्षकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन सामान्यतः अपने घर के जिले में नहीं किया जाएगा।
7. किसी संस्थान में वैसे ही शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा जो उक्त संस्थान में पढ़ाये जाने वाले विषय से संबद्ध है।
8. राज्य में जितने पोलिटेकनिक संस्थान अवस्थित है उन जगहों पर उनकी कुल सेवा की गिनती की जायेगी और अगर एक ही जिले में 03 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है तो उन्हें अन्यत्र दूसरे जिले में पदस्थापित किया जाएगा।
9. झारखण्ड राज्य में लागू नये वेतन पुनरीक्षण संकल्प के आलोक में पोलिटेकनिक के प्राचार्यों की अनिवार्य योग्यता पी0एच0डी0 हो गई है। अतः AICTE तथा नये विभागीय संकल्प सं0 783, दिनांक 31.03.2012 के परिनियम के आलोक में प्रभारी प्राचार्य, पी0एच0डी0 योग्यताधारी ही को बनाया जाएगा। Ph.D in Engineering योग्यता धारक नहीं मिलने की स्थिति में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक वरीय व्याख्याताओं को कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभारी प्राचार्य का कार्य करने हेतु आदेश दिया जा सकेगा।

155

-2-

10. पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्यों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सामान्यतः 03 वर्ष पूरी करने के पश्चात् ही किया जाएगा एवं कार्यकारी व्यवस्था के तहत वरीय व्याख्याता, जो प्रभारी प्राचार्य के अतिरिक्त प्रभार में होंगे, का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन शिक्षकों की भांति अपने वर्तमान पदों पर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् किया जाएगा।
11. सरकार द्वारा किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन के आलोक में संबंधित कर्मी सर्वप्रथम नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात् स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश के विरुद्ध संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में इसे घोर अनुशासनहीता मानकर संबंधित कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
12. यदि कोई शिक्षक अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में वाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं, या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र-पुस्ति में दर्ज कर दी जाएगी।
13. स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्राप्ति के पश्चात् निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित शिक्षकों को अविलम्ब विरमित कर देना होगा।
14. आवेदन पर किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. प्रशासनिक दृष्टिकोण/विशेष परिस्थिति में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किसी भी समय किया जा सकेगा।
16. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 1330, दिनांक 20.06.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।  
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय एवं इसकी 100 प्रतियां आपूर्ति की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि0प्रा0/पो0रा0स्था0-01/11 2001

/रांची, दिनांक- 13.08.15

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि0प्रा0/पो0रा0स्था0-01/11 2001

/रांची, दिनांक- 13.08.15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय पदाधिकारियों/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/सभी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव